

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक- 02/रेगु०-02-7053/2025- 733/800/पटना, दिनांक 15 अप्रैल, 2026
प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय : राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत "बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम" के तहत गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम हेतु वचनबद्ध राशि मो० 96,33,200.00 (छियानवे लाख तैंतीस हजार दो सौ) रुपये मात्र की निकासी की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार द्वारा राज्य योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत "बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम" के तहत गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के तहत वचनबद्ध राशि के रूप में निकासी एवं भुगतान हेतु मो० 96,33,200.00 (छियानवे लाख तैंतीस हजार दो सौ) रुपये मात्र की स्वीकृति दी जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-157 दिनांक-28.01.2026 के द्वारा कुल 481.00 लाख रु० की लागत पर "बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम" के तहत गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई थी, के आलोक में इस योजनांतर्गत तकनीकी कारणों से कोषागार से देय राशि की निकासी नहीं होने के फलस्वरूप भुगतान हेतु वचनबद्ध राशि के रूप में मो० 96,33,200.00 (छियानवे लाख तैंतीस हजार दो सौ) रुपये मात्र की स्वीकृति दी जा रही है।

3. योजनांतर्गत कार्यालयवार अवशेष राशि की निकासी हेतु स्वीकृत राशि की विवरणी परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है।


4. इस योजनांतर्गत स्वीकृत राशि के अधीन वचनबद्ध राशि का निकासी एवं भुगतान संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से किया जायेगा। संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा अवशेष राशि की निकासी एवं भुगतान केन केयर पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन के आलोक में निहित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा। परिशिष्ट-1 में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेंगे। भौतिक उपलब्धि के आलोक में लाभुकों को भुगतान किये जाने हेतु अवशेष राशि के लिए स्वीकृत राशि की निकासी हेतु वित्तीय नियमावली एवं पूर्व निर्गत अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. इस योजनांतर्गत गन्ना बीज विक्रेता/परिवहन एजेन्सी को अनुदान राशि का CFMS के माध्यम से किया जायेगा। योजनांतर्गत श्रेणीवार स्वीकृत राशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। किसी भी प्रकार के गलत भुगतान के लिए संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास पूर्णतः जवाबदेह होंगे।

6. वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-157 दिनांक-28.01.2026 में निहित अनुदेश/आवश्यकतानुसार समय-समय पर संशोधित अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. इसके कार्यान्वयन हेतु गन्ना उद्योग विभाग प्रशासी विभाग होगा तथा इसका समीक्षा ईखायुक्त, बिहार द्वारा किया जायेगा। क्षेत्रीय स्तर पर सहायक ईखायुक्त/उप निदेशक, ईख विकास कार्यान्वयन हेतु पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगे।

8. इस योजनांतर्गत अवशेष राशि की निकासी के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट शीर्षवार उपबंधित राशि एवं विकलनीय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-



क्र० सं०	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	उपबंधित राशि (रूपये में)	निकासी हेतु स्वीकृत राशि/विकलनीय राशि (रूपये में)
1.	मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-201-चीनी मांग संख्या-45 उप शीर्ष-0104-गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड- 45-2852082010104	33 01 सब्सिडी	7,98,06,000	80,06,200.00
2.	मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-45, उप शीर्ष-0102-गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड-45-2852087890102.	33 01 सब्सिडी	1,54,40,000	15,76,000.00
3.	मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या-45, उप शीर्ष -0103-गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड-45-2852087960103	33 01 सब्सिडी	12,54,000	51,000.00
	योग-		9,65,00,000	96,33,200.00

9. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 (वि.) 2 दिनांक-17.04.98 के आलोक में स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत राशि के विरुद्ध वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा विमुक्त किए गए राशि के अधीन आवंटन निर्गत किया जा सकेगा।

10. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश पर विभागीय संकल्प संख्या-12888/वि० दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-5 (ख) (ii) के आलोक में अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार का अनुमोदन संचिका सं०-02/रेगु०-02-7053/2025 के पृष्ठ सं०-32/टि. पर प्राप्त है।

11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-02/रेगु०-02-7053/2025 के पृष्ठ सं०-30/टि. पर प्राप्त है।

12. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अनुलग्नक-यथोक्त:

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-7053/2025- 733/2000/पटना, दिनांक 15

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, बेतिया/मोतीहारी/गोपालगंज/सीतामढ़ी/समस्तीपुर/भोजपुर/मुजफ्फरपुर/सिवान/बगहा/ दरभंगा/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-7053/2025- 733/2000/पटना, दिनांक 15


प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर/उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, मोतिहारी एवं पटना/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास तथा प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिल/महाप्रबंधक, प्रतापपुर चीनी मिल/सचिव, बिस्मा/संबंधित के.भी.के./राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/SIO, NIC, Patna/वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(3)

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-7053/2025- 733 / 20/07/2026 /पटना, दिनांक 15 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि- संबंधित सभी जिलाधिकारी/निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ-क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर/निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-7053/2025- 733 / 20/07/2026 /पटना, दिनांक 15 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।



ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट-1

राज्य योजना अंतर्गत " बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम " के तहत गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उनके सामने श्रेणीवार स्वीकृत वचनबद्ध राशि की विवरणी।

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यालय का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रू. में)				कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी।
		सामान्य	अनु० जाति	अनु० जन जाति	योग	
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	400000.00	0.00	0.00	400000.00	कोषागार, बेतिया, प. चम्पारण
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	81000.00	1000.00	0.00	82000.00	कोषागार, बेतिया, प. चम्पारण
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	60500.00	132000.00	0.00	192500.00	कोषागार, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	704000.00	0.00	0.00	704000.00	कोषागार, समस्तीपुर
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	27200.00	0.00	0.00	27200.00	कोषागार, गोपालगंज
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	913000.00	1000.00	0.00	914000.00	कोषागार, सीवान
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	423000.00	187000.00	11000.00	621000.00	कोषागार, सीतामढ़ी
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	251500.00	0.00	0.00	251500.00	कोषागार, मुजफ्फरपुर
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	2920000.00	640000.00	40000.00	3600000.00	कोषागार, दरभंगा
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, गया	0.00	0.00	0.00	0.00	कोषागार, गया
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	1882000.00	615000.00	0.00	2497000.00	कोषागार, पटना
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर	344000.00	0.00	0.00	344000.00	कोषागार, आरा (भोजपुर)
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	कोषागार, भागलपुर
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	0.00	0.00	0.00	0.00	कोषागार, सहरसा
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया	0.00	0.00	0.00	0.00	कोषागार, पूर्णियाँ
16	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	0.00	0.00	0.00	0.00	कोषागार, जमुई
	योग-	8006200.00	1576000.00	51000.00	9633200.00	

(छियानवे लाख तैंतीस हजार दो सौ) रुपये


ईखोयुक्त, बिहार।